



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 123-2025/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, JULY 14, 2025 (ASADHA 23, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग
(प्रशासकीय सुधार शाखा)

अधिसूचना

दिनांक 14 जुलाई, 2025

संख्या 7/31/2014-3ए०आर०- हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, आयोग की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम के अधीन माध्यमिक शिक्षा विभाग, हरियाणा की निम्नलिखित सेवाएं, समय सीमा, जिसके भीतर ये नागरिकों को उपलब्ध करवाई जानी हैं, पदाभिहित अधिकारी, प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी अधिसूचित करते हैं, अर्थात् :-

अनुसूची

क्रम संख्या	विभाग का नाम	सेवा का नाम	दी गई समय सीमा	पदाभिहित अधिकारी	प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी	द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1	माध्यमिक शिक्षा विभाग	8वीं या 10वीं या 12वीं कक्षा तक छात्रावास के साथ या उसके बिना (अपेक्षित दस्तावेजों की पूर्ति पर) निजी विद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान करना।	15 दिन	संबंधित निदेशालय की निजी विद्यालय शाखा के शाखा अधिकारी	संबंधित निदेशालय के संयुक्त / अपर निदेशक प्रशासन	निदेशक माध्यमिक शिक्षा / निदेशक मौलिक शिक्षा, जैसी भी स्थिति हो
2	माध्यमिक शिक्षा विभाग	8वीं या 10वीं या 12वीं कक्षा तक छात्रावास के साथ या उसके बिना (अपेक्षित दस्तावेजों की पूर्ति पर) निजी विद्यालय को मान्यता प्रदान करना	45 दिन	संबंधित निदेशालय की निजी विद्यालय शाखा के शाखा अधिकारी	संबंधित निदेशालय के संयुक्त / अपर निदेशक प्रशासन	निदेशक माध्यमिक शिक्षा / निदेशक मौलिक शिक्षा, जैसी भी स्थिति हो

क्रम संख्या	विभाग का नाम	सेवा का नाम	दी गई समय सीमा	पदाभिहित अधिकारी	प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी	द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
3	माध्यमिक शिक्षा विभाग	8वीं या 10वीं या 12वीं कक्षा तक हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के अलावा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली अथवा अन्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबद्धता के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करना (अपेक्षित दस्तावेजों की पूर्ति पर)	30 दिन	माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की निजी विद्यालय शाखा के शाखा अधिकारी	माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के संयुक्त / अपर निदेशक प्रशासन	निदेशक माध्यमिक शिक्षा।”।

अनुराग रस्तोगी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT (ADMINISTRATIVE REFORMS BRANCH)

Notification

The 14th July, 2025

No. 7/31/2014-3AR.— In exercise of the powers conferred under sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Haryana Right to Service Act, 2014 (4 of 2014), the Governor of Haryana on the recommendation of the Commission hereby notifies the following services, the time limit within which these are to be provided to citizens, the Designated Officers, First Grievance Redressal Authority and Second Grievance Redressal Authority of Department of Secondary Education under the said Act as specified in the Schedule given below, namely :-

Schedule

Serial Number	Name of the Department	Name of Service	Given Time limit	Designated Officer	First Grievances Redressal Authority	Second Grievances Redressal Authority
1	2	3	4	5	6	7
1	Department of Secondary Education	Granting permission to open Private School with or without hostel (on fulfilment of documents required) upto 8 th or 10 th or 12 th Standard	15 Days	Branch Officer of Private School Branch of the respective Directorate	Joint/Additional Director Administration of the respective Directorate	Director Secondary Education/ Director Elementary Education as the case may be
2	Department of Secondary Education	Granting recognition to Private School with or without hostel (on fulfilment of documents) upto 8 th or 10 th or 12 th Standard	45 Days	Branch Officer of Private School Branch of the respective Directorate	Joint/Additional Director Administration of the respective Directorate	Director Secondary Education/ Director Elementary Education as the case may be

“Serial Number	Name of the Department	Name of Service	Given Time limit	Designated Officer	First Grievances Redressal Authority	Second Grievances Redressal Authority
1	2	3	4	5	6	7
3	Department of Secondary Education	Issuance of No Objection Certificate for affiliation to CBSE of other Board of School Education other than HBSE (On fulfilment of documents) upto 8 th or 10 th or 12 th Standard	30 Days	Branch Officer of Private School Branch of Directorate of Secondary Education	Joint/Additional Director Administration of Directorate of Secondary Education	Director Secondary Education.”.

ANURAG RASTOGI,
Chief Secretary to Government, Haryana.